(3)

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ4 (23)लेखा / आकाशि / अनुदान / 2005–06 /3139 दिनांक 25-6-05

कुल सचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

विषय– सत्र 2005–06 में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निर्देशानुसार उच्च शिक्षा में पिछडे (Lagging Area) क्षेत्र में नवीन महाविद्यालयों के लिए सत्र 2005–06 में प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित शर्तों पर निम्नलिखित संस्था को उनके नाम के सम्मुख अंकित संकाय/विषय हेतु तीन वर्ष के लिये अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है –

क. सं.	स्पोंसर संस्था का नाम व पता	प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम	स्थान का नाम जहाँ महाविद्यालय स्थापित किया जायेगा	विषय/ संकाय
1	2	3	4	5
1	सरस्वती शिक्षा संस्थान 404, सिल्वर ओक अपार्टमेंट, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर	एस.एस.एस. कालेज जमवारामगढ जयपुर	श्री मनोज कुमार जोशी पुत्र श्री गोपाल लाल जोशी का मकान, जमवारामगढ , जयपुर	स्नातक स्तर पर कला संकाय में –अनिवार्य विषयों सहित, हिन्दी साहित्य, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, भूगोल, इतिहास । स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में– अनिवार्य विषयों सहित - भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, गणित । वाणिज्य संकाय में – अनिवार्य विषयों सहित- ए.बी.एस. टी., ई.ए.एफ.एम . व्यवसायिक प्रशासन ।

1. संस्था को तीन वर्ष की अवधि में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वंय की भूमि पर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करना होगा तथा अन्य आधारभूत संरचनाके कार्य भी पूर्ण करने होगें । तत्पश्चात् संस्था को इसके निरीक्षण हेतु इस कार्यालय को सूचित करना होगा ।
2. संस्था/महाविद्यालय को यू.जी.सी. द्वारा समय–समय पर जारी विनियमों/दिशा–निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी।
3. अस्थाई परिसर में संस्था/महाविद्यालय को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा प्रथम वर्ष/पूर्वार्द्ध की कक्षायें चलाने हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध होना आवश्यक है। इसी प्रकार अगले वर्षों में चलायी जाने वाली कक्षाओं के लिए तदनुसार वर्ष में भवन उपलब्ध होना आवश्यक है ।
4. शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य सरकार के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्था व महाविद्यालय बाध्य होंगे।
5. छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (affiliation) प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
6. स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
7. महाविद्यालय में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बद्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी ।
8. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/महाविद्यालय को देय नहीं होगा ।
9. आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।
10. ट्रस्ट/संस्था की सम्पूर्ण योजना की अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत व्यय प्रथम वर्ष में व्यय किये जाने की क्षमता का होना आवश्यक है ।
11. स्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं (मय यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों तथा कम्प्यूटर कोर्स हेतु यूजीसी योग्यताधारी नहीं होने पर एआईसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता वाले शिक्षकों के सम्बन्ध में

सुनिश्चितता से संस्था/महाविद्यालय द्वारा कालेज शिक्षा विभाग को अवगत करवाना आवश्यक होगा।

12. संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तद्नुसार संख्या सीमा में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ।
13. संस्था द्वारा स्थायी जमा में जमा करायी गई राशि 5 वर्ष तक जमा रखनी होगी तथा प्रत्येक 5 वर्ष बाद उसका नवीनीकरण कराया जावेगा।
14. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में निर्धारित एण्डोमेंट राशि जमा करानी होगी।
15. राजकीय भवन में यदि महाविद्यालय संचालित किया जा रहा है तो उसकी स्वीकृति के एक वर्ष में आवश्यक भवन निर्माण करना अनिवार्य है । तीन वर्ष की अवधि में सम्पूर्ण भवन निर्माण करना अनिवार्य है ।
16. तीन वर्ष की अवधि उपरान्त के स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना आवश्यक है ।
17. संस्था को महाविद्यालय का वर्ष में एक बार निरीक्षण करवाना अनिवार्य होगा, इस हेतु संस्था द्वारा इस विभाग को सूचित करना होगा ।
18. उपरोक्त शर्तों के पालना नहीं करने पर राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् जारी किये गये अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र को निरस्त किया जा सकेगा ।

भवदीय,

25/6

(बी.एल.आर्य)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. उप सचिव (जे), मा0मुख्यमंत्री महोदय, (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
5. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. जिला कलक्टर, जयपुर
8. अध्यक्ष/सचिव/मंत्री, सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
9. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. कम्प्यूटर शाखा, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
11. रक्षित पत्रावली ।

25/6/05

संयुक्त–निदेशक (अनुदान)
कालेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर ।

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमाक : एफ 4 (106) आकाशि/अनु/05/ 9386 दिनांकः- 2/3/2012

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2011–12 से पूर्व मे आवंटित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नांकित शर्तो के साथ प्रदान किया जाता है:–

क्र. सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1.	106	एस0एस0एस0 कॉलेज	जमवारामगढ़– जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय एवं संकाय तथा नवीन विषय पीजी स्तर पर कला में–राजनीति विज्ञान, भूगोल,इतिहास, अर्थशास्त्र

0. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वंय संस्था का होगा ।
0. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–2 अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी ।
0. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
0. संस्था को समय–2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
0. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।
0. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तो का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है ।
0. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार निदेशालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
0. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।
0. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
0. प्रति वर्ष निदेशालय से सांख्यकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर निदेशालय को भेजेगी।

निदेशक
कालेज शिक्षा राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

10. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. जिला कलेक्टर, जयपुर।
10. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय
10. सांख्यिकी शाखा, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त–निदेशक (अनुदान)